ORDER SHEET 1319-2015Rct

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
13-01-17	राज्य द्वारा एडीपीओउप0	
13	आरोपीगण सहित अधि०श्री एस०एस०श्रीवास्तव उप०	
A	प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।	
The S	आज दिनांक को फरियादी जुग्गन उप0	
A.	इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है आज दिनांक को	
100	फरियादी जुग्गन उप0 है उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह	
100	प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। चुंकि	
∞	उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है	
•	अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्रीमान द्वितीय अपर सत्र	
	न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में	
	रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।	
	उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर	-
	श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में	SON Y
	उप0हो। प्रकरण मीडिएशन रिर्पोट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।	S. V.
	प्रकार नाजिस्सा स्थाद हेतु बाववगरा नस्यास नस हो।	No.
	जे०एम०एफ०सी०	.5.
	पुनश्च–	2
	पक्षकार पूर्ववत	2
	मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न	
	किया गया।	
	इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे	
	अभिलेख पर लिया गया। फरियादी जुग्गन की पहचान अधि०श्री	
	ओ०पी०शर्मा द्वारा की गईहै।	
	राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का	
	अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी गपोचे	
	उर्फ राजू बॉबी, रूप कुमार उर्फ बडेलला के विरूद्ध भादस की धारा	
	294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त	
	धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी जुग्गन ने	
	आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना	

व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है । अतःवाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षीं को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी रूपकुमार उर्फ बडेलला,गपोचे उर्फ राजू एवं बॉवी को भादस की धारा 294,323एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये। जावे। प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा सही/-प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद EITH STATES OF S